

कार्यालय आदेश सं 52/17

रेल परिषद के पत्र सं-पीसी/99/1/07/612 दिनांक 02-09-2002 एवं रेलवे बोर्ड पीसी/2008/0/2/612 दिनांक 14-10-2008 के अनुपालन स्वरूप श्री मनोज कुमार शर्मा गा.प्र.हेल्पर II /छपरा के पक्ष में परिवार कल्याण के अन्तर्गत पत्नी के बन्ध्याकरण के परिणाम स्वरूप 210.रु. प्रति माह की दर से सेवानिवृत्ति तक भुगतान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई हैं यह भत्ता नवम्बर/10 से देय होगा और यह किसी भी पदोन्नति के साथ समायोजित नहीं किया जायेगा । यह भत्ता सातवे वेतन आयोग के रिपोर्ट के आधार पर संशोधनीय होगा ।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)
वाराणसी
दिनांक 22.05.17

- सं ई/एल/पीसी/मनोज कुमार शर्मा
प्रतिलिपि-सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -
1. वमविप्र वमविई (टी.आर.डी)/वाराणसी
 2. मुख्य कार्याधी विविध बिल
 3. का.आ.पुस्तिका
 4. संबन्धित कर्मचारी
 5. मंडल मंत्री नरमू अजा अजजा एसो./वाराणसी
 6. अन्य प्रतिं

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का)
वाराणसी